राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक: प.5(3)राज-6/05/16 — जयपुर, दिनांक:- 14-10-05

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

परिपत्र

विषय:- अनुसूचित जातियों की भूमि का पॉवर आफ अटार्नी के द्वारा अवैध बेचान के संबंध में।

माननीया मुख्य मंत्री महोदया की संभागीय स्तर की बैठकों के दौरान यह जानकारी दी गई कि कतिपय क्षेत्रों में आदिवासी लोगों की भूमि का बेचान फर्जी (Fraudulent) तरीके से पॉवर आफ अटार्नी के माध्यम से किया जा रहा है।

उपरोक्त के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42(बी) में स्पष्ट प्रावधान है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/सहरिया जाति का व्यक्ति अपनी भूमि का अन्तरण, विक्रय, दान, वसीयत आदि किसी प्रकार से इनसे भिन्न जाति के व्यक्ति के पक्ष में नहीं कर सकता है तथा इन जातियों के व्यक्तियों द्वारा अगर पॉवर आफ अटार्नी की पॉवर अन्य किसी व्यक्ति को दी जाती है तो पॉवर आफ अटार्नी होल्डर ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकता जिसको कि पॉवर आफ अटार्नी देने वाला स्वंय नहीं कर सकता अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया जाति के व्यक्ति द्वारा किसी अन्य को पॉवर आफ अटार्नी दी जाती है तो पॉवर आफ अटार्नी होल्डर ऐसा कोई अन्तरण विक्रय, दान, वसीयत आदि उस भूमि का ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं कर सकता जो, पॉवर आफ अटार्नी देने वाले व्यक्ति कि जाति से भिन्न हो अर्थात अनुसूचित जाति के व्यक्ति का पॉवर आफ अटार्नी होल्डर केवल अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ही तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का पॉवर आफ अटार्नी होल्डर केवल अनुसूचित जनजाति के पक्ष में इसी प्रकार सहरिया जाति के व्यक्ति का पॉवर आफ अटार्नी होल्डर केवल सहरिया जाति के व्यक्ति के पक्ष में ही अन्तरण, विक्रय, वसीयत, दान आदि कर सकता है और उपरोक्तानुसार अन्तरण, विक्रय, वसीयत, दान नहीं किया जाता है तो ऐसा अन्तरण, विक्रय, दान आदि प्रारम्भ से ही शून्य होगा। ऐसी स्थिति में पंजीयन कार्यालयों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि इस प्रकार के अन्तरण पंजीकृत नहीं किए जावें।

अत: यह सुनिश्चित किया जावे कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42(बी) के अन्तर्गत इस प्रकार के अनुसूचित जाति/जनजाति की भूमियों का बेचान अन्य व्यक्तियों को पॉवर आफ अटार्नी के माध्यम से नहीं हो पाये। यदि विक्रयविलेख का पंजीयन प्रावधानों के उल्लंघन में पंजीयक/उप पंजीयकों द्वारा किया गया हो तो उसकी जाँच कराकर अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावें व जमाबन्दी में अमल नहीं किया जावें।

(हस्ताक्षर) 10/10/05
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि- महानिरीक्षक (पंजीयन) अजमेर को भेजकर लेख है कि आप अपने अधीनस्थ सभी उप महानिरीक्षक (पंजीयन) एवं सभी उप पंजीयक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रति प्रेषित करावें।
2. सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग को सूचनार्थ प्रेषित है।

(हस्ताक्षर) 10/10/05
उप शासन सचिव